Vol 4 Issue 12 June 2015

ISSN No :2231-5063

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Welcome to GRT

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2231-5063**

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.org

International Recognized Double-Blind Peer Reviewed Multidisciplinary Research Journal
Golden Research Thoughts
ISSN 2231-5063 Impact Factor :3.4052(UIF)
Volume - 4 | Issue - 12 | June - 2015 Available online at www.aygrt.isrj.org

उत्तरप्रदेश में राजनीतिक सहभागिता का बदलता परिदृश्यः 73वें संविधान संशोधन का विशिष्ट सन्दर्भ

पुष्पेन्द्र कुमार मिश्र

short profile

पुष्पेन्द्र कुमार मिश्र

सारांश :

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सहभागिता की सैद्धान्तिक और वास्तविक स्थितियों पर प्रकाश डालता है। प्रस्तुत शोधपत्र तीन भागों में विभाजित है। इसके प्रथम भाग के अन्तर्गत राजनीतिक सहभागिता के सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत किया गया है। शोधपत्र के द्वितीय भाग में राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख प्रेरक एवं साधन के रूप में पंचायत राज के सैद्धान्तिक एवं अनुभाविक आयामों कोउत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है जबकि तृतीय भाग में सम्पूर्ण अध्ययन के मूल्यांकन को दर्शाया गया है।प्रस्तुत अध्ययन समुदाय के अवलोकन और विस्तृत साक्षात्कार पर आधारित है। इस हेतु उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले केतीन विकासखण्डों – कोतवाली, नूरपुर एवं जलीलपुर को लिया गया है। प्रत्येक विकासखण्ड के आठ–आठ गांवों को अध्ययन में शामिल किया गया। प्रत्येक गांव से यादृच्छिक आधार पर पाँच–पाँच उत्तरदाता साक्षात्कार हेतु चयनित किये गए जिनमें भिन्न–भिन्न लिंग, आयु एवं वर्ग के उत्तरदाता शामिल हैं।

संकेतक:राजनीतिक सहभागिता, पंचायत राज व्यवस्था, 73वां संविधान संशोधन, निष्कर्ष।

राजनीतिक सहभागिता किसी भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था का प्राण–तत्व है। प्रत्येक लोकतान्त्रिक समाज वास्तव में एक 'सहभागितापूर्ण समाज' होता है। यद्यपि प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति कुछ लोगों में ही केन्द्रित होती है (मोस्का, 1939: 50) तथापि ये सत्ताधारी लोग जनसाधारण को राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता हेतु निरन्तर प्रेरित करते हैं ताकि व्यवस्था को सबल बनाया जा सके। जिस राजनीतिक व्यवस्था में जनसाधारण को राजनीतिक सहभागिता के अवसर प्राप्त नहीं होते वह व्यवस्था शीघ्र ही विघटन की ओर अभिमुख हो जाती है।

राजनीतिक सहभागिताः अर्थ निरूपण

राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा को व्यवहारवादियों1 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है यद्यपि इसके प्रारम्भिक तर्क रूसो तथा गणतन्त्रवादियों2 आदि के लेखों में प्राप्त होते हैं। राजनीतिक सहभागिता का वास्तविक आशय, राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों की सम्पूर्ण भागीदारी से है (वर्थवाल एवं पाण्डेय, 1974: 423)। राजनीतिक सहभागिता द्वारा, किसी भी व्यवस्था में, राजनीतिक विकास को न सिर्फ गति प्राप्त होती है वरन् इसके माध्यम से वह व्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक एवं उदार भी बनती है। वास्तव में, राजनीतिक सहभागिता को उन स्वैच्छिक क्रियाओं, जिनके द्वारा समाज के सदस्य, शासकों के चयन एवं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जन–नीतियों के निर्माण में भाग लेते हैं, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से ही लोकतन्त्र में सहमति को मान्य अथवा अमान्य किया जाता है तथा शासकों को शासितों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है (मैक्ग्लोस्की, 1968: 253)।

राजनीतिक सहभागिता सम्बन्धी मैक्ग्लोस्की की उपर्युक्त परिभाषा को स्वीकार करने पर दो प्रमुख समस्याएं उत्पन्न होती हैं:

प्रथम, राजनीतिक सहभागिता की प्रवृत्ति केवल लोकतान्त्रिक समाजों में ही नहीं पायी जाती वरन् प्रत्येक उस समाज में, जहां किसी भी प्रकार की राजनीतिक सत्ता उपस्थित है, न्यूनाधिक मात्रा में राजनीतिक सहभागिता की प्रवृत्ति विद्यमान होती है; तथा द्वितीय, यह भी आवश्यक नहीं है कि आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजों में राजनीतिक सहभागिता की उच्च मात्रा ही उपस्थित हो। यह मात्रात्मक होने के स्थान पर गुणात्मक भी हो सकती है। तृतीय विश्व के अनेक देशों में सामान्यतः मतदान का प्रतिशत कम होने के बावजूद भी यहां राजनीतिक सहभागिता की प्रवृत्ति को विकसित देशों की तुलना में किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं माना जा सकता।

भारतीय सन्दर्भ में सहभागिता की अवधारणा को दो परिप्रेक्ष्यों – विकासपरक एवं लोकतान्त्रिक के अन्तर्गत विश्लेषित किया जा सकता है।

सहभागिता का विकासपरक परिप्रेक्ष्य

भारतीय नियोजन के प्रारम्भिक वर्षों में विकास परियोजनाएँ; बाहरी व्यक्तियों द्वारा परिकल्पित, नियोजित, क्रियान्वित तथा संचालित की जाती थीं। विकास की वास्तविक प्रक्रिया में लोग बहुत कम सहभागिता से लाभान्वित होते थे। लोगों के विकास को प्रायः भौतिक सुविधाओं; जैसे – घर, सड़क, पेयजल तथा स्वास्थ्य केन्द्र आदि में सुधार का समानार्थी माना जाता था। विकास की यह प्रक्रिया, अपनी निम्न सीमाओं के कारण, सामाजिक मुद्दों का समाधान करने में विफल रही –

- जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में, विकास के लाभों का असमान वितरण;
- वाह्य स्रोतों पर लोगों की बढ़ती निर्भरता;
- निर्मित सुविधाओं के प्रति लोगों की उदासीनता;
- अत्यधिक दोहन के कारण प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र अपक्षय; तथा
- निवेश का कम उपयोग होना।

विकास परियोजना के कई क्षेत्र–आधारित अनुसंधान, अध्ययन, समीक्षा तथा मूल्यांकन जो 1970 के दशक में संचालित हुए थे; ने विकास की इस प्रक्रिया को 'ऊपर से नीचे के प्रतिरूप' (टॉप–डाउन मॉडल) का प्रतीक माना तथा विकास के इस प्रतिरूप की तीव्र आलोचना की। इन अध्ययनों के निष्कर्षों ने यह भी प्रदर्शित किया कि उपर्युक्त समस्याओं का उदय इसलिए हुआ है क्योंकि जनसाधारण विकास की प्रक्रिया से सर्वथा पृथक रहा है। इन अध्ययनों ने विकास के लाभों के समान वितरण के उद्देश्य से एक वैकल्पिक विकास की अवधारणा की खोज की आवश्यकता पर भी बल दिया।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, 1980 के दशक में, विकास के एक नये दृष्टिकोण का उदय हुआ जिसे 'सहभागी विकास

की अवधारणा' की संज्ञा दी गयी। विकास के 'ऊपर से नीचे के प्रतिरूप' के विपरीत, सहभागी विकास की अवधारणा का मूल उद्देश्य, विकास की प्रक्रिया में अधिकाधिक लोगों को सम्मिलित करना है। विकास का यह नया प्रतिमान प्रस्तावित करता है कि सहभागी समुदाय को वर्तमान ज्ञान तथा तकनीकी के लाभों से युक्त करना होगा। समुदाय को अपने साधन स्वयं प्राप्त करने होंगे ताकि आत्मविश्वास का सृजन किया जा सके तथा कोई भी समर्थन जो बाहर से आ रहा हो, उससे यह प्रक्रिया और भी सुविधाजनक होगी।विकास का यह प्रतिमान यह भी स्वीकार करता है कि अधिकांश विकास परियोजनाएं जो ऊपर से कार्यान्वित होती हैं, वे समस्याओं को पर्याप्त रूप से हल नहीं कर सकतीं हैं। वस्तुतः इसके लिए सर्वाधिक महत्व लोगों के स्वयं के प्रयासों का है ताकि उनकी आवश्यकतानुसार परियोजना की खोज, क्रियान्वयन तथा आकलन किया जा सके।

सहभागिता का लोकतान्त्रिक परिप्रेक्ष्य

सहभागिता का यह परिप्रेक्ष्य मूलभूत महत्व का है। सहभागिता का लोकतान्त्रिक परिप्रेक्ष्य यह मांग करता है कि शासन की प्रक्रिया में अधिकाधिक लोगों को भागीदारी दी जाए। निर्णय–निर्माण एवं नीति–क्रियान्वयन में तृणमूल स्तर पर जनसाधारण की सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि जनसाधारण अपने भविष्य से जुड़े निर्णय स्वयं ले सके तथा विकास प्रक्रिया में सहभागी बन सके। इस प्रकार की सहभागिता को प्राप्त करने के लिए विकेन्द्रीकरण एक आवश्यक माध्यम का प्रतीक है।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में भारत में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को तीव्रतर गति प्रदान करने, विकास के लाभों के समावेशी आवंटन तथा विकास प्रक्रिया में अधिकाधिक लोगों की सहभागिता में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया गया है। इस सन्दर्भ में, भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात अनेक दशकों तक स्थापित संस्थाओं की तृणमूल स्तर पर अपेक्षित परिणाम देने में विफलता तथा ग्रामीण निर्धनता में हो रही अभिवृद्धि आदि के कारण शासन को अभिशासन में सुधार की आवश्यकता हुई (सिसोदिया, 2012: 1)। परिणामस्वरूप वर्ष 1993 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर शासन के एक नए स्तर के रूप में पंचायत राज की स्थापना की गयी।

पंचायत राज की अवधारणा वस्तुतः 'सहभागी विकास की अवधारणा' पर आधृत है। इसके अन्तर्गत जनता स्वयं विकास कार्यों में सहभागी बनकर अपने भविष्य का निर्माण करती है। फलस्वरूप विकास कार्यों में पारदर्शिता रहती है तथा स्थानीय ऊर्जा का विकासात्मक कार्यों में नियोजन सरलता से हो जाता है।

73वां संविधान संशोधन

भारतीय संविधान के निर्माण के समय ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त के अन्तर्गत अनुच्छेद 40 में तृणमूल स्तर पर पंचायतों की स्थापना को मान्यता देते हुए यह कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए उपाय करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हैं। वर्ष 1992 में देश की ग्राम पंचायतों को सांविधानिक इकाई मानते हुए; स्वशासी संस्था के रूप में स्थापित करने, उनमें एकरूपता लाने, निश्चित समय पर उनके चुनाव सुनिश्चित कराने,आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से 72वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया जो बाद में 73वें संविधान संशोधन, 1992 के रूप में 24 अप्रैल 1993 से सम्पूर्ण देश में लागू हुआ।

73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 में संशोधन किये गये (सिंह, 2003: 74–75)। संशोधित अधिनियम को दिनांक 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्तकिया गया।

उत्तर प्रदेश में पंचायत राजः व्यवहारिक अनुभव

प्रस्तुत शोध पत्र के इस भाग में उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित पंचायत राज व्यवस्था के विभिन्न आयामों पर

उत्तरदाताओं के अभिमत के विश्लेषण एवं व्याख्या को प्रस्तुत किया गया है। इस हेतु एक विधिवत् निर्मित एवं पूर्व–परीक्षित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से कुल 120 उत्तरदाताओं का वृहद् साक्षात्कार किया गया। साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त तथ्यों को विभिन्न सांख्यिकीय तकनीकों के माध्यम से विश्लेषित किया गया। इस प्रकार प्राप्त निर्गतों का प्रस्तुत भाग में विश्लेषण किया गया है।

सामाजिक–आर्थिक स्थिति

किसी भी व्यक्ति की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि उस व्यक्ति की मानसिक चेतना और विचारों के स्तर को निर्धारित करती है अतः शोध पत्र के इस भाग में उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का विवेचन लिंग, जाति, धर्म, परिवार का स्वरूप, मकान का प्रकार, परिवार का मुख्य व्यवसाय तथा परिवार की सभी स्रोतों से कुल मासिक आय आदि बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है।

सारणी1.1
सामाजिक–आर्थिक स्थिति

क्र.सं.	संकेतक			
लिंग	जलीलपुर*(%)*	कोतवाली*(%)*	नूरपुर *(%)*	योग*(%)*
1. पुरुष	19 (47.5)	27 (67.5)	24 (60.0)	70 (58.3)
2. महिला	21 (52.5)	13 (32.5)	16 (40.0)	50 (41.7)
जाति	जलीलपुर*(%)*	कोतवाली*(%)*	नूरपुर *(%)*	योग*(%)*
1. अनुसूचित जाति	37 (92.5)	36 (90.0)	37 (92.5)	110 (91.7)
2. अन्य पिछड़ा वर्ग	3 (07.5)	04 (10.0)	03 (07.5)	10 (08.3)
धर्म	जलीलपुर*(%)*	कोतवाली*(%)*	नूरपुर *(%)*	योग*(%)*
1. हिन्दू	39 (97.5)	40 (100)	39 (97.5)	118 (98.3)
2. मुस्लिम	01 (02.5)	00	01 (02.5)	02 (01.7)
परिवार का स्वरुप	जलीलपुर*(%)*	कोतवाली*(%)*	नूरपुर *(%)*	योग*(%)*
1. एकाकी	36 (90.0)	37 (92.5)	37 (92.5)	110 (91.7)
2. संयुक्त	04 (10.0)	03 (07.5)	03 (07.5)	10 (08.3)
मकान का प्रकार	जलीलपुर*(%)*	कोतवाली*(%)*	नूरपुर *(%)*	योग*(%)*
1. पक्का	24 (60.0)	27 (67.5)	20 (50.0)	71 (59.2)
2. अर्धपक्का	12 (30.0)	11 (27.5)	17 (42.5)	40 (33.3)
3. कच्चा	03 (07.5)	02 (05.0)	03 (07.5)	08 (06.7)
4. झोपड़ी	01 (02.5)	00	00	01 (0.8)
परिवार का मुख्य व्यवसाय	जलीलपुर*(%)*	कोतवाली*(%)*	नूरपुर *(%)*	योग*(%)*
1. कृषि	00	06 (15.0)	06 (15.0)	12 (10.0)
2. कृषि मजदूरी	21 (52.5)	11 (27.5)	09 (22.5)	41 (34.2)
3. गैर कृषि मजदूरी	17 (42.5)	23 (57.5)	25 (62.5)	65 (54.2)
4. स्वतन्त्र व्यवसाय	02 (05.0)	00	00	02 (01.7)
परिवार की मासिक आय	जलीलपुर*(%)*	कोतवाली*(%)*	नूरपुर *(%)*	योग*(%)*
1. 1500 से कम	05 (12.5)	03 (07.5)	02 (05.0)	10 (08.3)
2. 1501–2500	15 (37.5)	22 (55.0)	26 (65.0)	63 (52.5)
3. 2501–5000	18 (45.0)	11 (27.5)	08 (20.0)	37 (30.8)
4. 5000 से अधिक	02 (05.0)	04 (10.0)	04 (10.0)	10 (08.3)

उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के विश्लेषण से परिलक्षित होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता पुरूष हैं जबकि जातिगत आधार पर उत्तरदाताओं में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व अनुसूचित जातियों (निम्न जातियों) के सदस्यों का है। बहुसंख्यक उत्तरदाता एकाकी परिवार एवं हिन्दू धर्म से जुड़े हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं का मकान पक्का है जो कि ग्रामों में संचालित विभिन्न आवासीय कार्यक्रमों का सुफल है। व्यवसायिक परिदृश्य में बहुसंख्यक उत्तरदाता गैर–कृषि मजदूरी में संलग्न हैं तथा 1501 से 2500 रूपये प्रतिमाह की आय उपार्जित करते हैं।वस्तुतः विगत दशकों में अनेक कल्याणकारी योजनाओं के फलस्वरुप लाभार्थियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया है। जैसा कि सारणी 1.1 से स्पष्ट है; अब न सिर्फ उत्तरदाताओं के पारिवारिक स्वरुप में ही परिवर्तन आया है वरन् उनकी आय में भी अभिवृद्धि हुई है।

लोकतन्त्र का वास्तविक क्रियान्वयन तभी पूर्ण माना जाता है जब शासन के सभी स्तरों पर लोगों की सहभागिता हो। जन–साधारण का शासन के साथ सीधा सम्पर्क तथा उनकी नागरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का आरम्भ स्थानीय स्तर से ही प्रारम्भ होता है इसलिए लोकतान्त्रिक समाजों में स्थानीय स्वशासन का विशेष महत्व है। चूंकि जनता को राजनीति में लाने तथा ग्रामीण स्तर पर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को ले जाने में पंचायत राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए इनका विश्लेषण और मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है।

इस सन्दर्भ में, स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत ग्राम सभा वास्तविक अर्थों में जनमूलक संस्था है। चूंकि इसका गठन जन–प्रतिनिधियों के साथ ही स्वयं जनता के द्वारा होता है अतः यह प्राचीनतम प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का आधुनिक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा संशोधित' 2007) के प्रावधानों के अनुसार, ग्राम के वयस्क व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, के समूह को ग्राम सभा कहा जाएगा। ग्राम सभा की प्रतिवर्ष दो सामान्य बैठकें होंगी, एक बैठक खरीफ की फसल कटने के तुरन्त बाद (खरीफ की बैठक) और दूसरी रबी की फसल कटने के तुरन्त बाद (रबी की बैठक)। इस पृष्ठभूमि में सारणी 1.2 ग्राम सभा के विषय में उत्तरदाताओं की सामान्य जानकारी को स्पष्ट करती है।

सारणी1.2
ग्राम सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी'

क्र.सं.	ग्राम सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	ग्राम सभा के बारे में जानकारी	96	80.0
2.	ग्राम सभा के गठन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी	67	55.8
3.	ग्राम सभा की बैठकों की जानकारी	47	39.2

'बहुल उत्तर

सारणी के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि 80.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ग्राम सभा के बारे में सामान्य जानकारी है। 55.8 प्रतिशत उत्तरदाता ग्राम सभा के गठन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी रखते हैं जबकि ग्राम सभा की बैठकों के बारे में जानकारी रखने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत आश्चर्यजनक रूप से मात्र 39.2 है। स्पष्ट है कि सामान्यतः बहुसंख्यक उत्तरदाता ग्राम सभा के बारे में जानकारी रखते हैं यद्यपि ग्रामसभा की बैठकों के सन्दर्भ में उनमें जानकारी का पर्याप्त अभाव दृष्टिगोचर होता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली के अनुसार, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में उप–प्रधान द्वारा की जाती है। प्रधान तथा उप–प्रधान की अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम पंच (वार्ड सदस्य) इस दायित्व का निर्वहन करता है। इस पृष्ठभूमि में चित्र 1.1 में ग्राम सभा की अध्यक्षता के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की जानकारी कोदर्शाया गया है।

चित्र से स्पष्ट है कि 61.0 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामसभा की बैठक की अध्यक्षता के विषय में कोई जानकारी नहीं रखते हैं। 36.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार इस उत्तरदायित्व का निर्वहन ग्राम प्रधान करता है। 2.0 प्रतिशत उत्तरदाता उप–प्रधान जबकि मात्र एक प्रतिशत उत्तरदाता गांव के किसी भी व्यक्ति द्वारा इस उत्तरदायित्व का निर्वहन

किया जाना स्वीकार करते हैं।

चित्र सं. 1.1
ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता

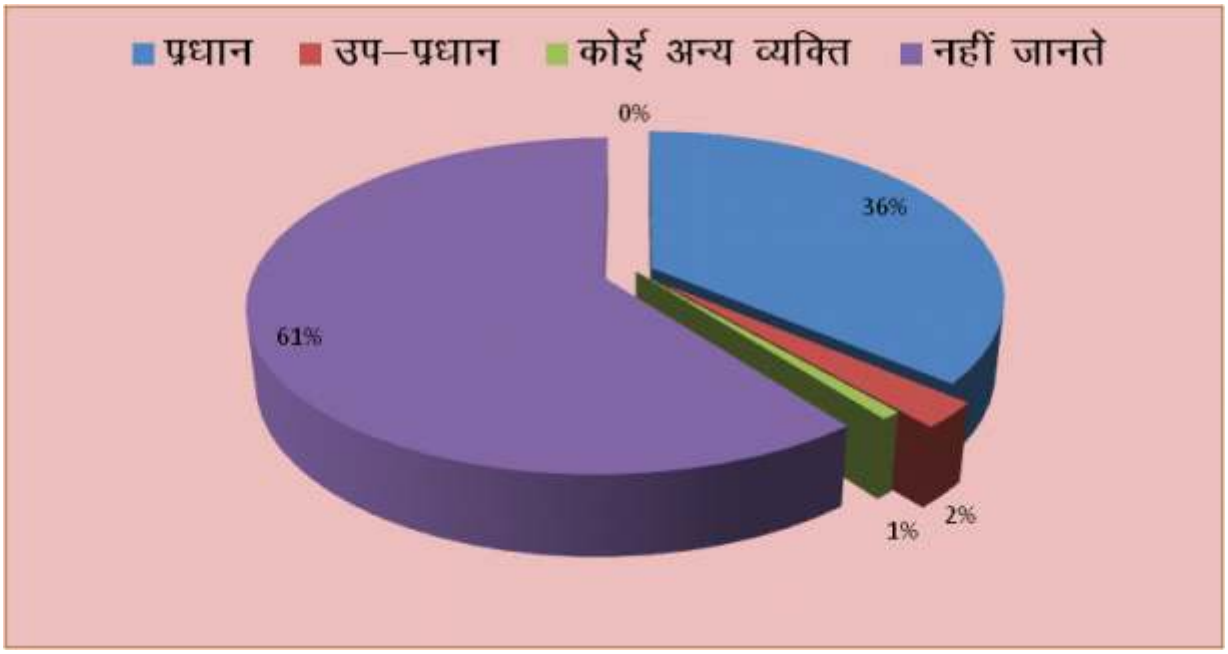

स्पष्ट है कि बहुसंख्यक लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता का दायित्व किसका है। सामान्यतः ये वही लोग हैं जिन्हे ग्राम सभा की बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

उत्तरदाताओं की ग्राम सभा एवं इसकी बैठक सम्बन्धी सामान्य जागरूकता का परीक्षण करने के बाद उत्तरदाताओं से ग्राम सभा की बैठक में उनकी नियमित सहभागिता के विषय में जानकारी लेना आवश्यक प्रतीत हुआ। सारणी 1.3 में उत्तरदाताओं की ग्राम सभा की बैठक में सहभागिता की स्थिति एवं सहभागिता न कर पाने की दशा में उसके कारणों को स्पष्ट किया गया है।

सारणी के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि बहुसंख्यक (75.0 प्रतिशत) उत्तरदाता ग्राम सभा की बैठक में नियमित सहभागितानहीं करते जबकि मात्र 25.0 प्रतिशत ही इस बैठक में भाग लेते हैं। जो उत्तरदाता ग्राम सभा की बैठक में सहभागिता नहीं करते उनमें से बहुसंख्यक (86.7 प्रतिशत) उत्तरदाता सूचना के अभाव को इसका प्रमुख कारण मानते हैं।

8.9 प्रतिशत इसके लिए खेती/मजदूरी में व्यस्तता को दोष देते हैं। 3.3 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि ग्राम सभा की बैठक में जाने से कोई लाभ नहीं है जबकि मात्र एक उत्तरदाता जानबूझकर इन बैठकों में सहभागिता नहीं करता है।

सारणी1.3
ग्राम सभा की बैठक में सहभागिता की स्थिति

क्र.सं.	ग्राम सभा की बैठक में नियमित सहभागिता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हां	30	25.0
2.	नहीं	90	75.0
	योग	120	100
यदि नहीं, तो कारण			
3.	सूचना का अभाव	78	86.7
4.	खेती/मजदूरी में व्यस्तता	08	08.9
5.	जानबूझ कर नहीं जाते	01	01.1
6.	जाने से कोई लाभ नहीं	03	03.3
	योग	90	100

स्पष्ट है कि ग्राम सभा के बहुसंख्यक सदस्य, सूचना के अभाव के कारण, ग्राम सभा की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं।

ग्राम सभा में सहभागिता की स्थिति के अवलोकन के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं से ग्राम सभा की बैठक में उनकी भूमिका के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी जिसे सारणी 1.4 में दर्शाया गया है।

सारणी1.4
ग्राम सभा की बैठक में भूमिका'

क्र.सं.	ग्राम सभा की बैठक में भूमिका	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	ग्राम की समस्याओं पर विचार–विमर्श	30	100
2.	निर्माणाधीन कार्यों पर चर्चा/प्रस्ताव	26	86.7
3.	योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना	25	83.3
4.	योजनाओं हेतु अपना नाम देना	25	83.3
5.	अन्य लोगों की समस्याओं को रखना	29	96.7
6.	प्रस्ताव रखना/सुझाव देना	21	70.0

'बहुल उत्तर

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वाले शत–प्रतिशत उत्तरदाता बैठकों में ग्राम की समस्याओं पर विचार–विमर्श करते हैं।

96.7 प्रतिशत अन्य लोगों की समस्याओं कोग्राम सभा की बैठक में रखते हैं जबकि 86.7 प्रतिशत उत्तरदाता ग्राम में निर्माणाधीन कार्यों पर चर्चा/प्रस्ताव रखते हैं। इस सन्दर्भ में समान रूप से; 83.3 प्रतिशत उत्तरदाता; नयी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा सरकारी योजनाओं हेतु अपना नाम देते हैं। ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव रखने एवं सुझाव देने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 70.0 है।स्पष्ट है कि ग्राम सभा की बैठक में सहभागिता करने वाले शत–प्रतिशत लोग स्वीकारते हैं कि ग्राम सभा ग्राम की समस्याओं पर विचार–विमर्श का एक सशक्त माध्यम है।

पंचायत राज व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य तृणमूल स्तर पर नियोजन एवं निर्णय प्रक्रिया में समाज के अन्तिम व्यक्ति को भागीदारी देना है। इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश पंचायत विधान के अनुसार ग्राम सभा की बैठक में निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं।चित्र 1.2 में ग्राम सभा में निर्णय के माध्यम के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की जानकारी को प्रदर्शित किया गया है।

चित्र सं. 1.2
ग्राम सभा में निर्णय का माध्यम

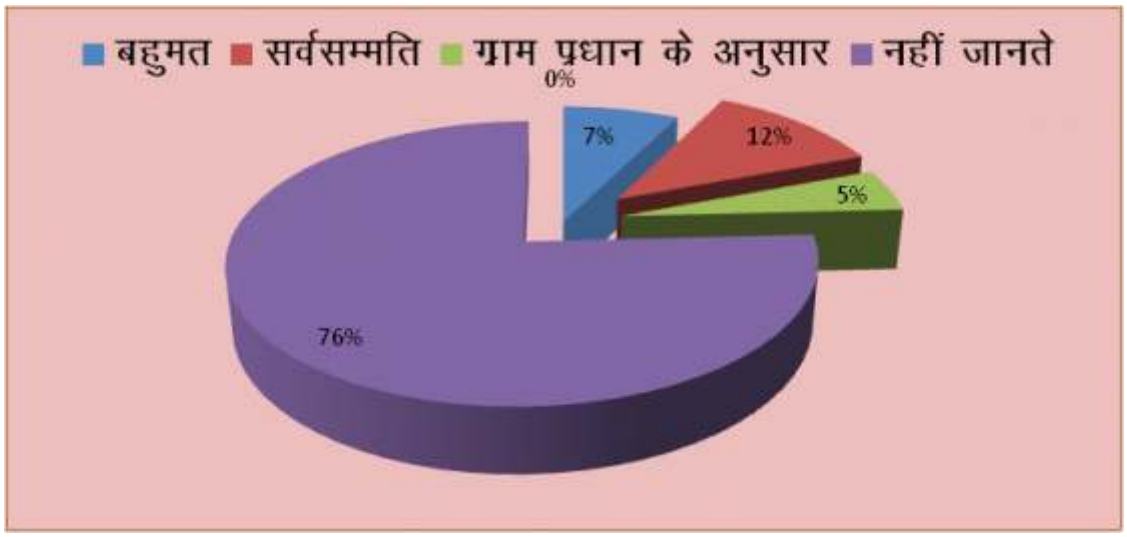

चित्र से स्पष्ट है कि बहुसंख्यक (76.0 प्रतिशत) उत्तरदाता ग्राम सभा में निर्णय के माध्यम के विषय में अनभिज्ञ हैं। 12.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। बहुमत को निर्णय का माध्यम मानने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत सात है जबकि पाँच प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार ग्राम सभा में निर्णय ग्राम प्रधान के अनुसार लिए जाते हैं।स्पष्ट है कि बहुसंख्यक उत्तरदाताओं को ग्राम सभा में निर्णय के माध्यम के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। अन्य शब्दों में, चूंकि ग्राम सभा स्तर पर जन–सहभागिता का स्तर काफी कम है अतः उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाएं विकेन्द्रीकरण और स्थानीय स्वशासन के मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रही हैं। यह अग्र–चित्रों से भी सुस्पष्ट होता है।

चित्र सं. 1.3
ग्राम सभा में पंचायत द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी

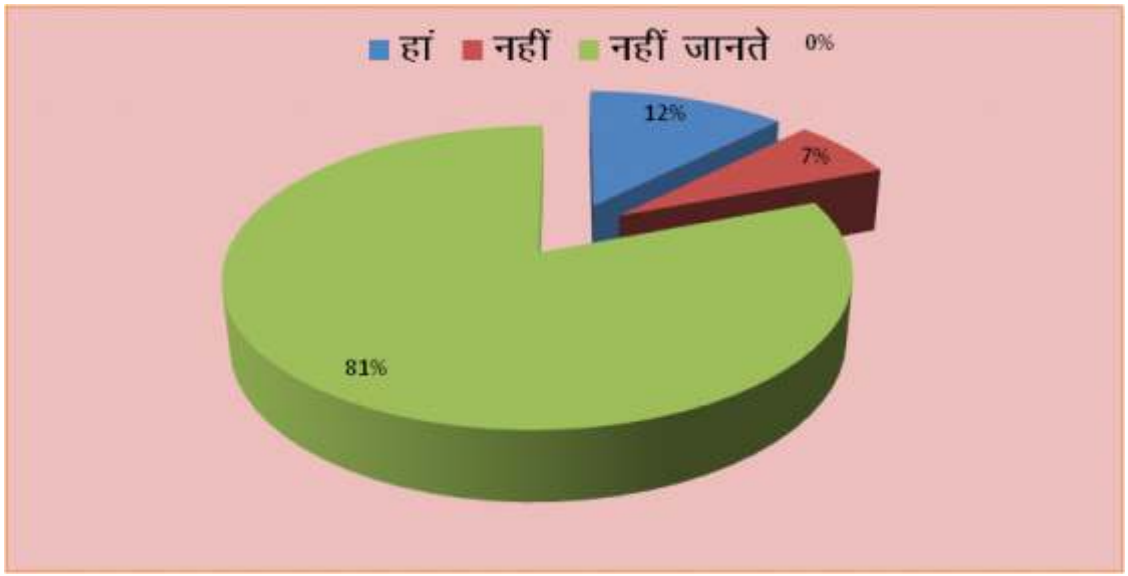

चित्र 1.3 लाभार्थियों की प्रक्रियागत सहभागिता के वर्गीकरण को स्पष्ट करता है। इसके अनुसार, बहुसंख्यक

(81.0 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को ग्राम सभाकी बैठक में; पंचायत द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में, सूचना दिये जाने के विषय में कोई जानकारी नहीं है। 12.0 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि उन्हे इस प्रकार की जानकारी दी जाती है जबकि 7.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार ग्राम सभा में इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जाती। अन्य शब्दों में, बहुसंख्यक उत्तरदाताओं को; ग्राम सभा में किये गये कार्यों के सम्बन्ध में; दी जाने वाली किसी भी प्रकार की सूचना के विषय में कोई जानकारी नहीं है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा संशोधित' 2007) के अनुसार, ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले कार्यों के लिए, ग्राम सभा की सिफारिशों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। चित्र 1.4 में ग्राम सभा की सिफारिशों पर ग्राम पंचायतके क्रियान्वयन की स्थिति के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की जानकारी को प्रदर्शित किया गया है।

चित्र सं. 1.4
ग्राम सभा की सिफारिशों का ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वयन

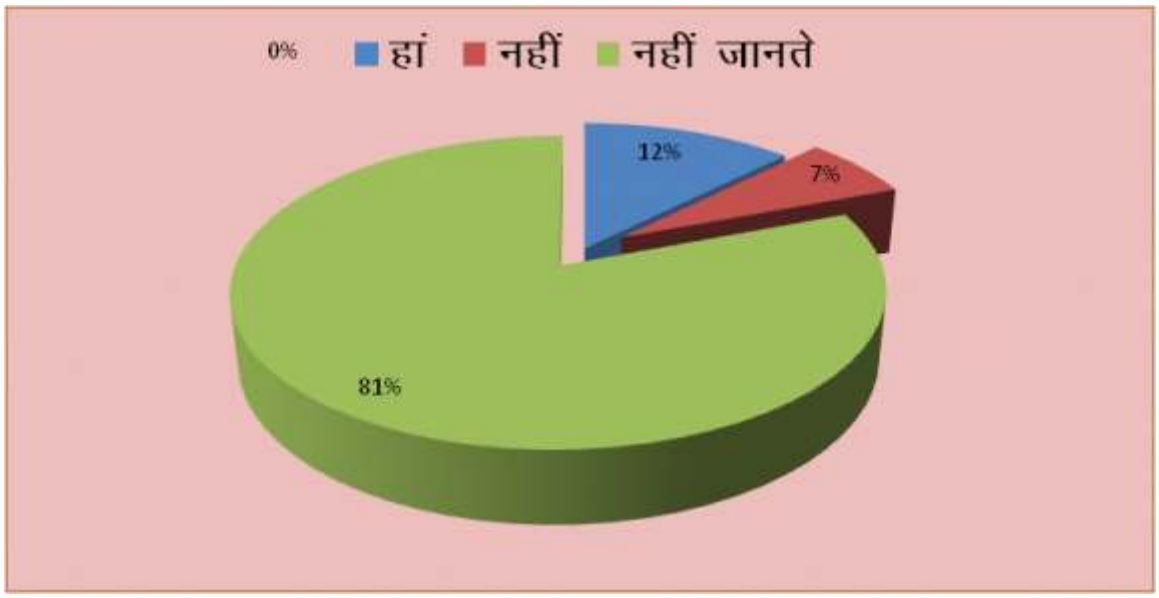

चित्र के अवलोकन से स्पष्ट है किबहुसंख्यक (81.0 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को ग्राम सभा की सिफारिशों पर ग्राम पंचायतके क्रियान्वयन की स्थिति के विषय में कोई जानकारी नहीं है। 12.0 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि ग्राम सभा की सिफारिशों को ग्राम पंचायत क्रियान्वित करती है जबकि 7.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत इसके विपरीत है। स्पष्ट है कि बहुसंख्यक उत्तरदाताओं को ग्राम सभा की सिफारिशों पर ग्राम पंचायतके क्रियान्वयन की स्थिति के विषय में जानकारी का अभाव है।

निष्कर्ष एवं मूल्यांकन

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में पंचायत राज संस्थाओं को राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख सफलता उत्प्रेरक के रूप में स्वीकार किया गया है। इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान समय में, 73वें संविधान संशोधन के अनुपालन के पश्चात उत्तर प्रदेश में त्रि–स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की गयी है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों को प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के तृतीय स्तर के रूप में,उनके संवैधानिक प्राधिकारों एवं निर्धारित कर्तव्यों के समुचित निष्पादन योग्य बनाया गया है जिससे ग्रामीण विकास एवं राजनीतिक सहभागिता के अभीष्ठ को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सके। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में पंचायत राज से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों से एक अलग परिदृश्य दृष्टिगोचर होता है।

वस्तुतः उत्तर प्रदेश में; तृणमूल स्तर पर; राजनीतिक प्रक्रिया में जन–सहभागिता से जुड़े तथ्यों से परिलक्षित

होता है कि बहुसंख्यक उत्तरदाताओं को ग्राम सभा के बारे में सामान्य जानकारी है यद्यपि ग्राम सभा की बैठकों के बारे में संज्ञानता का स्तर निम्न है। बहुसंख्यक उत्तरदाता इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अधिकांश सूचना के अभाव के कारण ग्राम सभा की बैठक में भाग नहीं लेते हैं यद्यपि ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वाले बहुसंख्यक उत्तरदाता बैठक में ग्राम की समस्याओं पर विचार–विमर्श करते हैं। बहुलांश उत्तरदाता ग्राम सभा में निर्णय के तरीके, ग्राम सभा में किये गये कार्यों के सम्बन्ध में दी जाने वाली जानकारी और ग्राम सभा की सिफारिशों पर ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में अनभिज्ञ हैं। संक्षेप में, ग्राम सभा स्तर पर जन–सहभागिता का स्तर काफी कम है अतः उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाएं विकेन्द्रीकरण और स्थानीय स्वशासन के मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रही हैं।

निष्कर्षतः,उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सहभागिता के सन्दर्भ में पंचायत संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि 73वें संविधान संशोधन के पश्चात नया पंचायत राज विधान अपने उद्देश्यों में सामान्यतः सफल रहा है तथापि तृणमूल स्तर पर व्यापक जन–सहभागिता में कमी अब भी एक नकारात्मक तत्व के रूप में विद्यमान है। अतः यह आवश्यक है कि तृणमूल स्तर पर ग्राम सभा का सशक्तीकरण किया जाए तथा निर्णय प्रक्रिया में ग्रामीणों को भागीदारी के समुचित अवसर प्राप्त हों तभी पंचायत राज के लाभों का समावेशी आवंटन सम्भव हो सकेगा तथा इससे राजनीतिक सहभागिता की प्रक्रिया भी तीव्र होगी।

टिप्पणी एवं नोट्स

1 एक आन्दोलन के रूप में व्यवहारवाद का विधिवत सूत्रपात चार्ल्स ई. मेरियम के नेतृत्व में 1925 में शिकागो विश्वविद्यालय में हुआ। यद्यपि राजनीति विज्ञान में इसे व्यापक स्वीकृति द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ही प्राप्त हुई। व्यवहारवाद का मुख्य उद्देश्य, राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के स्थान पर व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान केन्द्रित करना तथा विश्लेषण की मूल इकाई के रूप में 'संस्था' के स्थान पर व्यक्ति के व्यवहार को प्रतिष्ठित करना है। व्यवहारवाद के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए देखें: डहल, रॉबर्ट ए. (1961): द बिहेवरियल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंसः एपीटफ फॉर मानुमेन्ट टू ए सक्सेसफुल प्रोटेस्ट' अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, दिसम्बर 1961, वॉल्यूम 55; ईस्टन, डेविड (1970): 'द न्यू रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस', हास, एम. एवं कारियल, हेनरी एस. (सम्पा.) अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, चंदलर पब्लिशिंग कम्पनी, पैन्सिलवेनिया.

2 गणतन्त्रवादी मूलतः राज्य अथवा समाज पर शासन करने की राजतन्त्र विरोधी विचारधारा के समर्थक हैं। यह विचाराधारा वंशानुगत राज्याध्यक्ष के स्थान पर निर्वाचित राज्याध्यक्ष के सिद्धान्त की समर्थक है। आधुनिक युग में गणतन्त्रवाद को व्यापक प्रसिद्धि मई 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद प्राप्त हुई जब गणतन्त्रवाद, जनतन्त्रवाद, संघवाद और संविधानवाद के आधार पर अमरीकी संविधान की रचना हुई। हैरिंग्टन, जॉन मिल्टन, सिडनी, टॉमस पेन, जेफरसन और हेमिल्टन प्रसिद्ध गणतन्त्रवादी हैं। गणतन्त्रवाद पर अधिक जानकारी के लिए देखें: सेबाइन, जार्ज एच. (1987):राजनीतिक–दर्शन का इतिहास, एस चन्द कम्पनी (प्रा.) लि. नई दिल्ली; पोप, जेम्स ग्रे (1990): 'रिपब्लिकन मूवमेंटः द रोल ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर पॉवर इन द अमेरिकन कॉन्स्टीट्यूशन आर्डर' यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिलवेनिया लॉ रिव्यू, दिसम्बर 1990, 139(2).; आर्मिटांज, डेविड (2008): द डेक्लेरेशन ऑफ इन्डीपेन्डेन्सः अ ग्लोबल हिस्ट्री,हावर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, हावर्ड.

सन्दर्भः

1.मोस्का, गिटानो (1939): द रूलिंग क्लास, मैक्ग्राहिल, न्यूयार्क.
2.वर्थवाल, सी.पी. एवं पाण्डेय, रामनिवास (1974): आधुनिकराजनीतिक विश्लेषण,उ.प्र हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ.
3.मैक्ग्लोस्की, हरबर्ट (1968): 'पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन' सिल्स, डेविड (सम्पा.): इण्टरनेशनल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइन्सेज, वॉल्यूम 12, मैकमिलन, न्यूयार्क.
4.सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह (2012): डायनेमिक्स ऑफ लोकल गवर्नेन्स इन पोस्ट 73तकअमेंडमेंट सेनारियोः अ स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन्स इन विलेजेज ऑफ मध्य प्रदेश,(स्टडी रिपोर्ट), एम.पी.आई.एस.एस.आर.

, उज्जैन.
5.सिंह, एस.पी. (2003): प्लानिंग एण्ड मेनेजमेन्ट फॉर रूरल डेवेलेपमेन्ट, मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली.

डा.अम्बेडकर ग्रामसभा विकास योजना वर्ष-2010-11
कार्य का नाम - डा. अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण ।
स्वीकृत लागत - रू. 16.30 लाख
भवन का क्षेत्रफल - 142.40 वर्ग मी.
कार्य की विशिष्टियाँ-
1. नींव में कंक्रीट - 1:4:8(1सीमेंट:4कोर्स सैण्ड:8स्टोन बैलास्ट 40 mm) मोटाई 15 सेमी.
2. ईट की चिनाई - 1:6(1सीमेंट:6 कोर्स सैण्ड)
3. आर.सी.सी.कार्य - 1:1.5:3(1सीमेंट:1.5कोर्स सैण्ड:3स्टोन ग्रीट 20 mm)
4. प्लास्टर कार्य - 1:6 (1सीमेंट:6कोर्स सैण्ड)
5. फर्श कार्य - 7.5मोटाई कंक्रीट 1:4:8(1सीमेंट:4कोर्स सैण्ड:8 स्टोन बैलास्ट 40 mm) के ऊपर विट्रीफाइड टाईल
कार्यदायी संस्था-उ.प्र.समाज कल्याण निर्माण निगम लि. मुरादाबाद
दूरभाष नं०- अवर अभि. 9457132718 | सहा.अभि. 9412977351 | अधि. अभि. 9412537547

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान • सब पढ़ें-सब बढ़ें

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org